



शिक्षा विभाग

आम सूचना

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्र/छात्रा तथा अनु० जाति, अनु० जनजाति कोटि के द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र/छात्रा से संबंधित सूचनाओं को NIC के पोर्टल पर ऑनलाईन अंकित किये जाने के संबंध में।

उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं छात्र/छात्रा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण निम्नलिखित कोटि के छात्र/छात्रा को उनके सम्मुख अंकित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है :-

क्र०	योजना का नाम	लाभुक छात्र/छात्रा की कोटि	अर्हता	प्रोत्साहन राशि
1	मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना	सामान्य एवं पिछड़ा (बी०सी०-२) वर्ग की बालिका	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	10,000 /- (दस हजार)
2	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	उच्च जाति (अल्पसंख्यक सहित) बालक	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000 /- (एक लाख पचास हजार) तक हो।	10,000 /- (दस हजार)
3.	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन पारसी) / भाषाई अल्पसंख्यक (बंगला) के छात्र/ छात्राओं के लिए	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	10,000 /- (दस हजार)
4	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000 /- (एक लाख पचास हजार) तक हो।	10,000 /- (दस हजार)
5	मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के बालक/बालिका	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	10,000 /- (दस हजार)
6	मुख्यमंत्री अनु० जाति अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कोटि के बालक/बालिका	प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	10,000 /- (दस हजार)
			द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्णता	8,000 /- (आठ हजार)
7	मुख्यमंत्री अनु० जाति अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कोटि की बालिका	प्रथम श्रेणी से इंटर उत्तीर्णता	15,000 /- (पन्द्रह हजार)
			द्वितीय श्रेणी से इंटर उत्तीर्णता	10,000 /- (दस हजार)

- उक्त योजनाओं के अंतर्गत राशि सीधे पात्र लाभुकों के बैंक खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से अंतरित की जायेगी।
- सभी पात्र छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे NIC द्वारा विकसित ई० कल्याण पोर्टल को <https://medhasoft.bih.nic.in> के माध्यम से खोलकर अपना निबंधन करेंगे। निबंधन के लिए छात्र/छात्रा से संबंधित सूचनाएँ यथा पंजीयन संख्या, प्राप्तांक, जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, छात्र/छात्रा का नाम, माता एवं पिता का नाम, जिला का नाम, रोल नंबर एवं सामान्य वर्ग के लिए उच्च जातियों के छात्र (अल्पसंख्यक सहित) एवं पिछड़ी जाति के छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000 /- (एक लाख पचास हजार) तक हो संबंधित सूचना तथा आय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। कोई भी तथ्य/सूचना गलत अंकित किये जाने की स्थिति में निबंधन रद्द हो जायेगा तथा छात्र/छात्रा को पुनः निबंधन कराने का अवसर प्राप्त होगा। NIC द्वारा रद्द किये जाने से संबंधित सूचना लाभुकों को मैसेज के माध्यम से अवगत कराया जाता है। पोर्टल पर अंकित तथ्य/सूचना पंजीयन/अंक प्रमाण पत्र में अंकित तथ्य/सूचना के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही छात्र/छात्रा के बैंक खाता एवं आधार में छात्र/छात्रा का नाम उसके पंजीयन/अंक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के अनुरूप होना अनिवार्य है। निबंधन के समय दर्ज कराये गये सूचनाओं के सत्यापन के पश्चात् छात्र/छात्रा के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई०डी० पर यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड उपलब्ध होगा। **यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें।**
- यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड प्राप्त होने के बाद पात्र लाभुकों को पुनः पोर्टल पर लॉग इन करके अपने फार्म को पूरा करते हुए अंतिम रूप देना है। छात्र/छात्रा द्वारा फार्म को अंतिम रूप देने के पश्चात् किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ध्यान रहे कि बैंक खाता पात्र लाभुकों के अपने नाम से खुला होना चाहिए तथा यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए साथ ही लाभुकों को अपना आधार बैंक खाता से सीडेड कराना अनिवार्य होगा अन्यथा भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया आधार बेस्ड किया जाएगा।
- प्रयास किया जाय कि सूचनाओं को अंकित किये जाने का कार्य निजी अथवा घरेलू मोबाइल/लैपटॉप/कम्प्यूटर आदि के माध्यम से ही किया जाय। अपने से संबंधित अभिलेख किसी से साझा न करें एवं आवेदन की प्रक्रिया अपने सामने पूर्ण करें। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

7. उक्त के संदर्भ में किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नं०-91+9534547098 (श्री राज कुमार) तथा 91+8986294256 (श्री इंद्रजीत) एवं ईमेल आईडी- mkuyatric2022@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना